



**BULANDSHAHR POLICE**



**दिनांक 13 दिसम्बर, 2024**

**"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-**

अवगत कराना है कि अभियुक्त अलीहसन पुत्र कालेखां निवासी सारंगपुर थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2014 में थाना खानपुर क्षेत्र निवासी दो नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.05.2014 को थाना खानपुर पर मुअसं-129/2014 धारा 354डी,323,506 भादवि व 08 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 24.05.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 04 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 13.12.2024 को न्यायाधीश श्री संजय यादव (मा0 न्यायालय पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अलीहसन को 03 वर्ष का कारावास व 6,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री महेश राघव, श्री धर्मेन्द्र राघव व श्री भरत शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

**मीडिया सैल बुलन्दशहर ।**